राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.7(6)वित्त–1(1)आ.व्य. / 2025 जयपुर, दिनांक 28 जुलाई, 2026

परिपत्र

विषयः–उपकर एवं अधिभार की राशि को संबंधित निधि में हस्तान्तरण तथा उसके उपयोग के संबंध में।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) में उल्लेख किया जाता रहा है कि विभागों द्वारा बजट मैन्युअल के नियमों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। उपकर सरकार द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और प्राप्त राशि का विशिष्ट उद्देश्य पर व्यय हो, यह सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त राशि को विशेष लेखांकन के साथ एक पृथक निधि में रखा जाना आवश्यक है। यथा–कतिपय विभागों द्वारा उपकर / अधिभार की राशि राजकोष में संग्रहित होने के पश्चात् उसको संबंधित निधि में हस्तांतरित नहीं करवाया जाता है अथवा प्राप्त राशि से कम राशि हस्तांतरित करवाई जाती है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि आपके विभाग से संबंधित ऐसे उपकर एवं अधिभार की राशियों को संग्रहित होने पर महालेखाकार की पुस्तकों से अंकमिलान कर समय पर संबंधित निधि में हस्तान्तरित करवाया जाना सुनिश्चित करें । साथ ही निधि में उपलब्ध राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जावे जिस उद्देश्य से उक्त उपकर / अधिभार आरोपित किया गया था।

इस संबंध में कृपया बजट नियमावली के प्रावधानों की कठोरता से पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in

क्रमांक प.7(6)वित्त–1(1)आ.व्य./2025 जयपुर, दिनांकः 28 जुलाई,2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I &II/लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)/बजट नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग को सात अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3 सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[09 / 2026]